कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग, हरियाणा

कौशल भवन, सैक्टर–3, पंचकूला

उद्यमी युवा –सम्मानित हुआ

हरियाणा राज्य में स्थित राजकीय एंव निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं में स्वरोज़गार स्थापित करने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा सफल उद्यमियों को पुरस्कृत करने की योजना लागू की है जिसके तहत प्रत्येक वर्ष प्रत्येक जिले में गणतंत्र दिवस समारोह 26.01.2023 के अवसर पर अपना सफल उद्यम स्थापित करने एवं चलाने में प्रथम विजेता उम्मीद्वार को 10,000 रूपये, द्वितीय विजेता उम्मीद्वार को 7,500 रूपये और तृतीय विजेता उम्मीद्वार को 5,000 रूपये की नकद राशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इन सभी पुरस्कृत उद्यमियों में से सर्वश्रेष्ठ तीन उम्मीद्वारों को राज्य स्तर पर विश्व युवा कौशल दिवस समारोह के अवसर पर प्रथम विजेता उम्मीद्वार को 50,000 रूपये, द्वितीय विजेता उम्मीद्वार को 40,000 रूपये और तृतीय विजेता उम्मीद्वार को 30,000 रूपये की नकद राशि एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इच्छुक उम्मीद्वार अपने जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में 31.12.2022 से पहले आवेदन जमा करवा सकता है। आवेदन प्रपत्र एवं योजना के नियम व शर्ते विभाग की वैबसाईट www.itiharyana.gov.in से डाऊनलोड करें।

इसके लिए आवेदन नवम्बर से प्रारम्भ होंगे। इसके नियम व पात्रता मापदंड नीचे दिए गए है।

नियम एवं शर्तेः

- आवेदक का व्यवसाय उसी क्षेत्र में होना चाहिए जिस क्षेत्र में उसने आई.टी.आई. उतीर्ण की हो।
- व्यवसाय हरियाणा राज्य अथवा चण्डीगढ़ में किसी भी स्थान पर आई. टी.आई. उतीर्ण करने उपरान्त 1 से 4 वर्ष के भीतर–भीतर शुरू होना चाहिए।
- पैतृक व्यवसाय ग्रहण नही किया होना चाहिए।
- कम से कम एक वर्ष तक प्रति माह 22,000/– रूपये आमदन होना अनिवार्य है।
- अगर व्यवसाय साझेदारी में है, तो आवेदक का मुख्य भूमिका होनी चाहिए।
- यदि आप अलग–2 व्यवसायों के लिए आवेदन करना चाहते है तो कृप्या अलग व्यवसाय के लिए अलग आवेदन पत्र जमा करें।
- आवश्यक योग्यता, चयन मापदंड ;जी0एस0टी0 न0./टी0आई0एन0 न0. /टी0ए0एन0 न0. बैलेंस शीट, आयकर/ जी0एस0टी0 रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट) और अन्य दस्तावेजों को आवेदन करने से पहले इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न (स्वयं सत्यापित) करना होगा।
- यह विभाग बिना कोई कारण बताए पुरस्कार/सम्मान की प्रकिया को वापस लेने/रदद् करने और किसी भी स्तर पर किसी भी नियम और शर्तो को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
- आवेदन अंतिम तिथि से पहले जिला मुख्यालय आईटीआई में दस्ती जमा होना/होने चाहिए।